

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ० प्र० शासन

सेवा में,

निदेशक,

पंचायतीराज,

उ० प्र०, लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 23 अक्टूबर, 2020

विषय:- 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर के ग्राम पंचायत निजामपुर, विकास खण्ड-सिकन्दराबाद को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्राम पंचायत-निजामपुर, विकास खण्ड-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर को वित्तीय वर्ष 2016-17 की निष्पादन अनुदान के अन्तर्गत रू. 839.33 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-27/2020/907/33-3-2020-02/2016 दिनांक 24.04.2020 द्वारा स्वीकृत की गई है। उपरोक्त शासनादेश में दिए गए निर्देश के अनुसार जनपद स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 28.09.2020 में संस्तुत परियोजनाओं का परीक्षण कर राज्य स्तरीय समिति को संदर्भित किया गया है।

राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.09.2020 में जनपद से प्राप्त परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति की गई। राज्य स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 15.10.2020 निर्गत किया गया है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति के दृष्टिगत संलग्नक-1 पर दिए गए परियोजनाओं के विवरण के अनुसार रू. 822.70 लाख लागत की स्वीकृति श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- 1- निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष जनपद स्तर पर सक्षम स्तर से प्रशासकीय, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। जनपद में प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त योजनाओं के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि निदेशक, पंचायती राज उ० प्र० द्वारा ग्राम पंचायत- निजामपुर, विकास खण्ड-सिकन्दराबाद, जनपद-बुलन्दशहर को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किश्त की धनराशि का, 70 प्रतिशत व्यय होने पर 40 प्रतिशत द्वितीय

किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी एवं शेष 10 प्रतिशत की तृतीय किश्त भौतिक कार्य पूर्ण होने तथा संतोषजनक गुणवत्ता के प्रमाणपत्र के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज 30प्र0 द्वारा ग्राम पंचायत को अवमुक्त की जायेगी।

- 2- इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-234/33-3-2016-02/2016 दिनांक 18.02.2016 एवं समय-समय पर निर्गत किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- 3- प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई-ग्राम स्वराज के पोर्टल पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मद में अंकित की जायेगी। प्रत्येक कार्य (वर्क आई.डी.) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो पी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर से स्वीकृत हो) के माध्यम से किया जायेगा।
- 4- राज्य स्तरीय समिति द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी/प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो पुनरीक्षित प्रायोजना पर जिला स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5- निविदा खोलने एवं निविदा मूल्यांकन करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर एक निविदा समिति का गठन किया जायेगा।
- 6- कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर कार्य करने के निर्देश पंचायतों को दिए गए हैं। निविदा डालने हेतु एक टेण्डर बाक्स ग्राम पंचायत में तथा एक टेण्डर बाक्स जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में रखा जायेगा। दोनो टेण्डर बाक्स एक साथ निविदा समिति के समक्ष खोले जाएंगे।
- 7- जिलाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे जो समय-समय पर कार्यों का भौतिक सत्यापन व पर्यवेक्षण करेंगे।
- 8- प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- 9- निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रारम्भ किया जायेगा जिससे कॉस्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

- 10- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- 11- परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ में रखा जायेगा।
- 12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- 13- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाये।
- 14- ग्राम पंचायत हेतु स्वीकृत धनराशि का अधिकतम 01 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत, जनपद स्तर व राज्य स्तर पर कार्यों में कन्सलटेंसी सर्विस, पर्यवेक्षण, मॉनीटरिंग व इवोल्युशन के लिए उपयोग की जा सकती है।
15. वित्तीय स्वीकृति जारी के सम्बन्ध में धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, अन्य मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 2- यह शासनादेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-01/2020/बी-1-149 /दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक:- तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।

- 2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।
- 4- अपर निदेशक, आर.सी.यू.ई.एस., लखनऊ।
- 5- उप निदेशक/सदस्य सचिव, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0।
- 6- जिला पंचायतराज अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 7- ग्राम प्रधान/सचिव, ग्राम पंचायत निजामपुर, विकास खण्ड-सिकन्दराबाद बुलन्दशहर।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

शासनादेश संख्या-49/2020/2391/33-3-2020-56/2020 दिनांक 23.10.2020 द्वारा 14वें वित्त
आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम पंचायत-निजामपुर, विकास खण्ड-
सिकन्दराबाद को निष्पादन अनुदान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत प्रदत्त धनराशि रु.
8,39,33,093/- के सापेक्ष योजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
(A)	सम्पर्क मार्ग एवं आन्तरिक गलियाँ /ड्रेनेज सहित।	
A.1	इन्टरलाकिंग सड़क का निर्माण	
1.	इ0 लाकिंग भागल के प्लाट से तेज सिंह तक	4.99
2.	इ0 लाकिंग धर्मपाल व नरेन्द्र वाली गलियों में	4.17
3.	इ0 लाकिंग ब्रहमपाल से धर्मवीर तक	1.27
4.	इ0 लाकिंग कार्य मेन सीसी रोड से कमल, चन्दन, देबू एवं कंवरसेन वाली गलियों में	6.38
5.	इ0 लाकिंग महताब नगर की मढ़ैया में रजवाहे से शिवमंदिर तक	1.5
6.	इ0 लाकिंग महताबनगर की मढ़ैया में दीपक से राजेन्द्र के मकान एवं सुरेन्द्र शर्मा के मकान से गांव के देवता तक	7.09
7.	इ0 लाकिंग व नाली केवल 100 मी0 में महताब नगर में मुकुटलाल के मकान से शमशान घाट तक	21.54
8.	इ0 लाकिंग मेन सीसी रोड से ब्रहमपाल, शरीफ, शब्बहीर, तेजसिंह से जैनेन्द्र, कुंजबिहारी एवं जुम्मा वाली गलियों में	6.46
9.	इ0 लाकिंग विजेन्द्र शर्मा से विश्वनाथ शर्मा तक	2.9
10.	इ0 लाकिंग हरिजन बस्ती के पास गंदे नाले की पटरी पर दोनों तरफ	12.73
11.	इ0 लाकिंग हरिओम से देसा तक	3.73
12.	इ0 लाकिंग हेमू के मकान से गोपाल के प्लाट एवं इन्द्रराज वाली गलियों में	15.64
13.	इ0 लाकिंग प्रेमचन्द्र से फूलसिंह तक	3.02
14.	इ0 लाकिंग राजपाल के मकान से शमशान घाट तक	10.5
15.	इ0 लाकिंग जतन, महीपाल, गोपाल व सुन्दर वाली गलियों में	4.96
16.	इ0 लाकिंग शमशान के प्रांगड़ में	23.66

17.	इ0 लाकिंग सुरेश से काली सड़क तक	3.91
18.	इ0 लाकिंग देशराज से कुंवरपाल तक	2.39
19.	इ0 लाकिंग देवी मंदिर से मूलचन्द्र के मकान तक	4.85
20.	इ0 लाकिंग दनकौर रोड से परमाल के घर तक	7.75
21.	इ0 लाकिंग चयनपाल, भीम एवं धर्मन्द्र वाली गलियो में	2.89
22.	इ0 लाकिंग जयवीर से धर्मवीर तक	2.75
23.	इ0 लाकिंग जगराम से चौक तक व मन्नु, लोकेश, मुकेश एवं हरेन्द्र वाली गलियो में	5.86
24.	इ0 लाकिंग जगदीश से बिजेन्द्र	2.49
25.	इ0 लाकिंग जग्गा, हजारी, रनवीर व राजवीर वाली गलियो में	1.43
26.	इ0 लाकिंग अनीस से नसरू तक	3.89
27.	इ0 लाकिंग गंदे नाले की पुलिया/जग्गी के मकान से रजवाहे तक एवं जयपाल वाली गलियो में	16.35
28.	इ0 लाकिंग गंदे नाले के किनारे पुलिया से धर्मन्द्र एवं बलवीर के मकान, महाराज सिंह, सुब्बू व विनोद वाली गलियो में	12.23
29.	इ0 लाकिंग कार्य जगदीश के घर से जेनेन्द्र के घर तक	2.26
30.	गंदे नाले पर धर्मन्द्र के मकान के पास आरसीसी क्रासिंग कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग में इंटरलाकिंग	5.8
31.	गंदे नाले पर बलवीर के मकान के पास आरसीसी क्रासिंग कलवर्ट एवं पहुंच मार्ग में इंटरलाकिंग	5.54
	कुल योग (A.1)	210.93
A.2	सी0सी0 रोड निर्माण	
32.	सीसी रोड यासीन व डा0 राजू व महेन्द्र शर्मा के घर तक	4.75
33.	सीसी रोड बंटी के घर से अजब सिंह के घर तक	1.15
34.	सीसी रोड बाबू के घर से धर्मपाल के घर तक	7.16
35.	सीसी रोड मेन रोड से प्रा0 स्कूल तक	2.7
36.	सीसी रोड मेन टाईल रोड से गंदे नाले के सहारे अमरसिंह के मकान से सुखपाल के मकान तक	8.69
37.	सीसी रोड बिजेन्द्र के प्लाट से हरीशचन्द्र के मकान तक	2.98
38.	सीसी रोड हरिश्चन्द्र से सत्ते के मकान तक	2.32
39.	सीसी रोड हरिश्चन्द्र के मकान से मानसिंह के प्लाट तक	4.55

40.	सीसी रोड हरिश्चन्द्र के प्लाट से बिजेन्द्र के प्लाट तक	4.63
41.	सीसी रोड हरिजन बस्ती में	7.72
42.	सीसी रोड राजीव के घर से भीम तक	13.14
43.	सीसी रोड सत्तार से गजेन्द्र के घर तक	3.94
44.	सीसी रोड देवीराम के घर से हरिश्चन्द्र के प्लाट तक	3.85
45.	सीसी रोड दनकोर रोड से खजूर के पेड़ तक	20.97
46.	सीसी रोड दनकोर रोड से जाटव बस्ती में त्रिलोक के मकान, चामड़ एवं विभिन्न सहायक गलियों में	39.93
47.	सीसी रोड तेजसिंह के घर से अमन के प्लाट तक	3.61
48.	सीसी रोड तेजसिंह के घर से गुलवीर, सुन्दर से इन्द्रराज, सतीश, छिरदा, मंदिर वाली, बिशन शर्मा एवं जयभगवान शर्मा वाली गलियों में	7.2
49.	सीसी रोड जाटव बस्ती में अशोक के मकान से डा0 अम्बेडकर की मूर्ति एवं विभिन्न सहायक गलियों में	22.75
50.	सीसी रोड अमन के प्लाट से धनपाल के मकान तक	3.33
	कुल योग (A.2)	165.37
A.3	अन्य कार्य	
51.	खड़न्जा निर्माण धर्मपाल से काली सड़क तक	4.15
52.	काली सड़क निर्माण रजवाहे की पुलिया से ग्रामीण रिसोर्ट तक	70.00
53.	नाली निर्माण सजीव के प्लाट से पोखर तक	2.82
54.	नाली व पुश्ता मुकुट के घर से भागल के घर तक	2.14
55.	नाली व पुश्ता बिजेन्द्र से मानसिंह के घर तक	2.14
56.	नाली व पुश्ता शेर सिंह से बिजेन्द्र के प्लाट तक	3.84
	कुल योग (A.3)	85.09
B	एल0ई0डी0 लाईट एवं स्ट्रीट लाईट	
57.	हाई मास्क लाईट स्थापना (20मी0 हाईट पोल, 1.5 हार्स पावर टूल मोटर, 3 प्वाइंट सेसपेंशन)	22.5
58.	एलईडी लाईट स्थापना (72 वाट)	16.63
	कुल योग (B)	39.13
(C)	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट	
59.	सफाई गाड़ी (छोटा हांथी)	5.00

60.	वर्मी कम्पोस्ट पार्क	7.00
	कुल योग (C)	12.00
(D)	वाटर बॉडी रिजुवेशन	
61.	तालाब जीर्णोद्धार	5.98
	कुल योग (D)	5.98
(E)	लैंड स्केपिंग/पार्क का विकास एवं वृक्षारोपण	
62.	लैंड स्केपिंग गाटा सं० 858 एवं 321 में	70
	कुल योग (E)	70
(F)	स्कूलों का सुदृढीकरण	
63.	प्रा०पा० का सुदृढीकरण व स्मार्ट क्लासेज (ब्राडबैंड, टेलीकॉम कनेक्टिवटी, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, वाटर कूलर, बाउन्ड्रीवाल, फर्नीचर, मॉडल, शौंचालय, हैण्डवास यूनिट, झूले व खेलकूद सामग्री, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डिजिटल डिस्पले बोर्ड, एम०डी०एम० शेड, वाल पेण्टिंग, ग्राफिक्स, वृक्षारोपण, इण्टरलाकिंग आदि) का निर्माण।	16.60
64.	प्रा०पा० का सुदृढीकरण व स्मार्ट क्लासेज (ब्राडबैंड, टेलीकॉम कनेक्टिवटी, फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, वाटर कूलर, बाउन्ड्रीवाल, फर्नीचर, मॉडल, शौंचालय, हैण्डवास यूनिट, झूले व खेलकूद सामग्री, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, डिजिटल डिस्पले बोर्ड, एम०डी०एम० शेड, वाल पेण्टिंग, ग्राफिक्स, वृक्षारोपण, इण्टरलाकिंग आदि) का निर्माण।	16.60
	कुल योग (F)	33.20
(G)	अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
65.	ग्राम पंचायत निजामपुर में ग्राम निजामपुर व महताबनगर में शमशान घाट व कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल व इण्टरलाकिंग कार्य पहुंच मार्ग तक	50.00
66.	बारात घर का निर्माण गाटा सं० 718 में	50.00
67.	ओपेन एयर थियेटर व ओपेन जिम की स्थापना गाटा सं० 365 में	31.00
68.	अवस्थापना सुविधाओं हेतु विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन व विद्युत लाईन आदि डालने पर अनुमानित व्यय	20.00

69.	रूरल रिसोर्ट /वेयर हाउस (बाएबिलिटी परीक्षण उपरान्त किया जायेगा)	50.00
	कुल योग (G)	201.00
	महायोग A.1+A.2+A.3+B+C+D+E+F+G	822.7

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>